

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा - पत्र

उनवान

..... रामप्रसाद बनाम जानकीलाल


किस्म मुकदमा द्वारा - 223 मि. नं. 166/2018 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री अमृत मीणा अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट श्री विद्याशंकर गोस्वामी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-05-22	<p>पत्रावली पेश हुई। अत्रिभाषकगण उत्रयपत्र उपस्थित। आदेशिका दिनांक 25-04-2022 के अनुसार अपील सुनवाई हेतु दिनांक 28-06-22 नियत है। अत्रिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील को शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः न्यायवित्त में पत्रावली आज सुनवाई हेतु पेश हुई। अत्रिभाषक अपीलान्ट ने अपील को एज ए विद्वा खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है। अपीलान्ट के एज ए विद्वा प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील एज ए विद्वा की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फासल शंभार होकर बाद तामील तकमील दारखिल दफ्तर हो।</p>	<p>दिनांक 24/5/22 को अपीलान्ट रामप्रसाद ने हस्ताक्षर किया जिसकी पहचान मेरे द्वारा की गई</p> <p>अस्त एव.</p> <p>अमृत मीणा 25/5/22</p> <p>24/5/2022</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (पब०)





पु 6/11/18

वीडिट
बादनी यशोपाल
बरेली

50
5022AA
17.9.2018

(S.O.)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील नं०/2018

- 1- रामप्रसाद आत्मज स्व० माधो लाल जाति नाथ
 - 2- रुकमणी बाई पुत्री स्व० माधो लाल जाति नाथ
 - 3- कंचन बाई पुत्री स्व० माधो लाल जाति नाथ
- निवासीगण ग्राम बडाय तहसील छीपा बडोद जिला बारां
- अपीलान्तान

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज काना
2. कंवरलाल आत्मज काना
जाति नाथ निवासीगण सुखनेरी तहसील छीपा बडोद जिला बारां
- 3- रामप्रसाद आत्मज शंकरनाथ दत्तक पुत्र गोपाल जाति नामथ
4. चतुर्भुज आत्मज शंकरनाथ जाति नाथ
- 5- छीतरलाल आत्मज मांग्या जाति नाथ
- 6- कजोड आत्मज मांग्या जाति नाथ
निवासीगण बडाय तहसील छीपाबडोद जिला बारां
- 7- घीसी बाई पुत्री मांग्या बेवा ओंकार नाथ जाति नाथ निवासी बरेडा तहसील खानपुर

- 8- अयोध्या बाई पुत्री मांग्या पत्नी फूल चन्द जी जाति नाथ
निवासी भरीकडिया तहसील अकलेरा
- 9- परमानन्द पुत्र भेरु जाति नाथ
- 10- प्रहलाद पुत्र भेरु जाति नाथ
निवासीगण बडाय तहसील छीपाबडोद जिला बारा
- 11- कंचन पुत्री भेरु पत्नी मोजी राम जाति नाथ निवासी ख्यावदा
तहसील बम्बोरी
- 12- नटटी पुत्री भेरु, पत्नी भंवरलाल जाति नाथ निवासी केवली
तहसील अकलेरा जिला भालावाड
- 13- मांगीलाल आत्मज श्रीकृष्ण जाति नाथ
- 14- द्वारकीलाल आत्मज श्रीकृष्ण जाति नाथ
- 15- जितेन्द्र आत्मज बाबूलाल जाति नाथ
निवासीगण बिलेन्डी
- 16- मोहर बाई पुत्री बाबूलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति नाथ निवासी
बोरीना तहसील रामगंजमण्डी
- 17- ममता पुत्री बाबूलाल पत्नी राकेश नाथ जाति नाथ निवासी
डीगसी तहसील रामगंजमण्डी
- 18- अनिता पुत्री बाबूलाल पत्नी धनराज जाति नाथ निवासी फलिया
तहसील छीपा बडोद
- 19- कमला बाई पत्नी बाबूलाल जाति नाथ निवासी बिलेण्डी
- 20- रामप्रसाद आत्मज मोतीलाल जाति नाथ निवासी कोटा
- 21- राजू बाई पुत्री मोतीलाल जाति नाथ निवासी बिलेण्डी
- 22- भूली बाई पत्नी भंवरलाल जाति नाथ निवासी बिलेण्डी
- 23- प्रेम बाई पत्नी प्रहलाद जाति नाथ निवासी बडाय तहसील छीपा
बडोद जिला बारा

रामप्रसाद

अभिषेक

अभिषेक

- 24- जमनालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति नाथ
25- मथुरालाल आत्मज कन्हैयालाल जाति नाथ
निवासीगण हमीरपुर तहसील बम्बोरी जिला गुना म0प्र0
26- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपा बडोद जिला
बारां - रेस्पोंडेन्टान

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री दिनांक
02-04-2018 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
छीपा बडोद जिला बारां बमुकदमें जानकीलाल
व अन्य -बनाम- रामप्रसाद व अन्य केस नं0
63/2016 दावा धारा 53 आर0टी0ए0
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्तान निम्न निवेदन करते है :-

संक्षेप में अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि दावा सं0 63/2016 वादीगण रेस्पों नं0 1 व 2 ने प्रतिवादीगण रेस्पों नं0 3 ता 26 व सरकार के खिलाफ पेश कर कथन किया कि ग्राम मोजा बडाय तहसील छीपा बडोद जिला बारां की 24 किता की 76 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी जो वादीगण व प्रतिवादी गण नं0 1 ता 21 के शामिल होती खाने में दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि का वादीगण के दादा व तत्कालीन अन्य सहखातेदारान के मध्य 100 वर्ष पूर्व विभाजन हो गया और वादीगण के दादा व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण ख0न0 167 की 11 बीघा 01बिस्वा, ख0न0 333 की 07 बिस्वा, ख0न0 334 की 2 बीघा 05 बिस्वा व ख0न0 335 की 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर

रामप्रसाद

अभि रंजुमणी

अभि रंजुमणी